छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आपराधिक अपील संख्या 776/2013

रोशन साहू पुत्र आजूराम साहू, आयु लगभग 22 वर्ष,निवासी ग्राम केवराजरा, पुलिस स्टेशन नांदघाट,जिला बेमेतरा , छत्तीसगढ़, सिविल जिला दुर्ग राजस्व जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

---अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से स्टेशन हाउस ऑफिसर , पुलिस स्टेशन नांदघाट, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

---प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा - श्री राहिल अरुण कोचर अधिवक्ता

राज्य द्वारा - श्री अरिजीत तिवारी, पेनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

माननीय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे

निर्णय 08/12/2022

संजय के. अग्रवाल, जज ।

1. यह आपराधिक अपील द०प्र०सं० की धारा 374(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 31/07/2013 को विद्वान अतिरिक्त सत् न्यायाधीश , बेमेतरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं० 18/2011 में पारित किए गए विवादित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत उसे धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 500/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25/01/2011 को दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी दुलारी साहू, उम्र 18 वर्ष, पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई और उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार उसने उपरोक्त अपराध किया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला आगे यह भी है कि अपीलकर्ता और मृतिका दुलारी साहू आत्मज हीरामन साहू (पी.डब्लू.-1) और श्रीमती लखनी बाई (पी.डब्लू.-6) का विवाह

घटना के 8 महीने पहले हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था और शादी के बाद, मृतक दुलारी साहू अपने पति (अपीलकर्ता) और अपने ससुर और सास के साथ ग्राम कंवरा जेवरा में अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। दिनांक 25/01/2011 को लगभग 2 बजे अपरान्ह अपीलार्थी ने अपने ससुर हीरामन साहू (पी.डब्लू.-1) को सूचना दिया कि उसकी पुत्री (मृतका) ने आग लगा ली है, जिससे वह जल गई है। तत्पश्चात हीरामन साहू (पी.डब्लू.-1), श्रीमती लखनी बाई (पी.डब्लू.-6) एवं श्रीमती उमा बाई (पी.डब्लू.-7) मार्शल में बैठकर ग्राम कंवरा जेवरा के लिए निकले। रास्ते में बेलटुकरी मोड़ के पास अपीलार्थी से उनकी मुलाकात हुई, जो मृतका दुलारी साहू को मिशन अस्पताल मुंगेली ले जा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर मृतका दुलारी साहू को भर्ती कराया गया , जहां उसके पिता हीरामन साहू (पी.डब्लू.-1) ने उससे पूछा कि वह कैसे जल गई, तो उसने बतायी कि अपीलार्थी ने उससे झगड़ा किया तथा उसके सारे गहने उतारने को कहकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान अस्पताल द्वारा मुंगेली थाने को सूचना दी गई। तत्पश्चात थानेदार बद्री सिंह राजपूत (पी.डब्लू.-5)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हाउस ऑफिसर, अस्पताल पहुंचे और मृतका के मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के लिए जे.एम.एफ.सी. मुंगेली को प्र.पी. 5 के माध्यम से एक आवेदन लिखा और साथ ही अस्पताल को प्र.पी. 6 के माध्यम से एमएलसी करने के लिए और यह प्रमाणित करने के लिए एक आवेदन लिखा कि क्या मृतका मृत्युपूर्व बयान देने की स्थिति में थी। एमएलसी डॉ. एन.आर. सैमुअल (पी.डब्लू.-17) द्वारा किया गया और एमएलसी रिपोर्ट (प्र.पी-6) के अनुसार मृतका को ज्यादातर थर्ड डिग्री बर्न का सामना करना पड़ा था और चोटों की प्रकृति गंभीर थी और डॉ. अनिल हेनरी (पी.डब्लू.-12) द्वारा प्र.पी. 5 के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया कि मृतका पूरी तरह से होश में थी और बात कर रही थी और वह अपना बयान देने की स्थिति में थी। उसके पश्चात मृतिका का मृत्युकालीन कथन डॉ . एन.आर. सेमुअल (पी.डब्लू.-17) एवं डॉ. अनिल हेनरी (पी.डब्लू.-12) की उपस्थिति में दिनांक 25/01/2011 को सायं 07:45 बजे तहसीलदार मुंगेली युगल किशोर (पी.डब्लू.-19) के द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें मृतिका कथन की कि उसके पति (अपीलार्थी) ने यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहते हुए उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वह उसका सम्मान नहीं करती तथा उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी तथा उसके बाद वह उसे स्वयं अस्पताल ले गया। अगले दिन अर्थात 26/01/2011 को उपचार के दौरान रामदुलारी साहू की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना वार्डबॉय संदीप बाघ (पी.डब्लू.-18) ने पुलिस थाना मुंगेली को दी , जिस पर उपनिरीक्षक बोधन सिंह (पी.डब्लू.-20) ने शून्य पर मर्ग सूचना प्र.पी-23 दर्ज किया तथा मर्ग जांच के दौरान उन्होंने सीआरपीसी की धारा 175 के तहत गवाहों को समन प्र.पी. 1 जारी किया तथा उसके बाद प्र.पी. 2 के तहत जांच की। नजरी नक्शा प्र.पी. 3 तैयार किया गया तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया , जो डॉ. विभा सेंधू (पी.डब्लू.-13) द्वारा किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.पी. 7) के अनुसार मृत्यु का कारण 90-100% जलने के कारण सदमा लगना बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जांच के दौरान शून्य पर दर्ज मर्ग इंटिमेशन के आधार पर पुलिस स्टेशन नांदघाट में नंबरी मर्ग इंटिमेशन प्र.पी. 13 दर्ज

किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र .पी. 14 दर्ज की गई। घटनास्थल का नक्शा प्र.पी. 8 तैयार किया गया तथा घटनास्थल से मिट्टी तेल का टिन, सादी मिट्टी तथा मिट्टी तेल में मिश्रित मिट्टी को प्र.पी.9 के अनुसार जब्त किया गया और मृतिका के पहने गए कपड़ों को प्र.पी. 12 के तहत जब्त किया गया। उक्त जब्त की गई उक्त वस्तुओं को एफएसएल जांच हेतु भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी. 28 प्राप्त की गयी । अन्वेषण के पश्चात अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विधिवत विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। अपीलकर्ता ने अपना अपराध अस्वीकार किया तथा बचाव लेना स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोजन ने अपराध साबित करने हेतु 20 गवाहों के कथन दर्ज कराये तथा 28 दस्तावेज साबित किये। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता/अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इनकार किया और 9 दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाए । हालांकि, उसने अपने बचाव में किसी की साक्षी का साक्ष्य दर्ज नहीं कराया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपराध का अपराधी पाते हुए, उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहिल अरुण कोचर ने दो-तरफा दलीलें पेश कीं :-

i). मृतिका दुलारी साहू द्वारा दिया गया मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी.11) कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ है, इसलिए विचारण न्यायालय ने उक्त मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी.11) पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने में गलती की है और इसलिए, उसकी सजा पूरी तरह से रद्द की जा सकती है ।

ii) भले ही यह कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी.11) कानून के अनुसार साबित हो गया है, तब भी अपीलकर्ता का मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आएगा और इसलिए, आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा धारा 304 में परिवर्तित की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकती है। आईपीसी की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है और चूंकि वह 29/01/2011 से यानी 11 साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए उसे पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि के बराबर की सजा दी जानी चाहिए। वह अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **के.रवि कुमार बनाम कर्नाटक राज्य**[1] **(2015) 2 एससीसी 638 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के साथ-साथ सुशील कुमार सोनवानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[2] **क्रिमिनल अपील नंबर 672/14 निर्णय दिनांक 22/04/2022** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इसके विपरीत, श्री अरिजीत तिवारी, राज्य वकील ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि मृतिका द्वारा दिया गया मृत्युपूर्व कथन (प्र.पी.11) युगल किशोर उर्वशा (पी.डब्लू.-19), तहसीलदार मुंगेली, डॉ. अनिल हेनरी (पी.डब्लू.-12) और डॉ. एन.आर. सैमुअल (पी.डब्लू.-17) के साक्ष्य से विधिवत सिद्ध किया गया है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302 भादस के अपराध में उक्त मृत्युकालीन कथन पर

1 (2015) 2 SCC 638
2 Judgment dated 22/04/2022 passed in Criminal Appeal No. 672/2014

भरोसा करते हुए दोषसिद्ध ठहराने में कोई त्रुटि नहीं किया है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि यह प्रकरण धारा 300 के अपवाद 4 के अंतगर्त आने वाला प्रकरण नहीं है और धारा 302 भा०द०स० के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्ध को धारा 304 भाग 2 भा०द०स० के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है , इसलिए प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

9. हमने उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तओं के तर्क को सुना उपरोक्तानुसार उनके दिये गये तर्क पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचार करने योग्य पहला प्रश्न यह है कि **क्या मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी ?**

11. विद्वान विचारण न्यायालय उक्त संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है यद्यपि निर्णय की पैरा **26** में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया हैः-

> "अतः उक्त डॉ० एन०आर० सैमुअल अ०सा० **-17,** डॉ० एम०के० रॉय अ०सा०**-9,** डॉ० श्रीमती विभा सिंधु अ०सा० **-13,** हीरामन साहू अ०सा० **-1,** गीताराम अ०सा०**-4,** लखनी बाई अ०सा०**-6,** उमा बाई अ०सा० **-7,** संदीप बाघ अ०सा०**-18,** श्री युगल किशोर उर्वशा अ०सा० **19,** सउनि बोधन सिंह अ०सा०**-20**

के न्यायालयीन बयान एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि दिनांक **26/01/2011** को **15.15** ए०एम० रामदुलारी उर्फ रानी साहू पति रोशन साहू की मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में जलने के कारण हो गयी है ।"

12. डॉ० एन०आर० सैमुअल अ०सा०-**17** जिसने प्र०पी०-**6** का एमएलसी किया था, डॉ० अनिल हेनरी अ०सा०-**12** और डॉ० विभा सिंधु अ०सा०-**13** जिसने पोस्टमार्टम की थी, के साक्ष्य पर विचार करने के बाद तथा प्र०पी०-**7** की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतिका के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंची थर्ड डिग्री जलने के चोट पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि मृतिका दुलारी साहू की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि **क्या अपीलार्थी ही प्रश्नगत अपराध का अपराधी/अपराधकर्ता है ?**

14. यह स्वीकृत है कि घटना दिनांक 25/01/2011 के 1 से 2 बजे के मध्य घटित हुई है और उसके परिणामस्वरूप मृतिका जल गयी थी । उसे उसके पति अपीलार्थी के द्वारा अस्पताल ले जाया गया था और उन्हें अस्पताल जाने के रास्ते में हीरामन साहू अ०सा०-1 और श्रीमती लखनी बाई अ०सा० -6 द्वारा ज्वाईन किया गया था । अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मृतिका का

मृत्युकालीन कथन **प्र.पी.-11** उसी दिन 07.45 बजे युगल किशोर उर्वशा अ०सा०-19 तहसीलदार मुंगेली के द्वारा डॉ० अनिल हेनरी अ०सा०-12 और डॉ० एन०आर० सैमुअल की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था, जिसमें वह स्पष्ट रूप से कथन की है कि उस दिन पहले उसके पति ने उसके साथ यह कहते हुए कि वह उसका सम्मान नहीं करती, झगडा करना प्रारंभ किया और उसके बाद उसके गहने/जेवर उतारने के लिए कहा और उसके पूरे शरीर पर मिट्टी तेल डाल दिया और उसे आग लगा दिया। उसके तुरंत बाद वह मृतिका के पिता हीरामन साहू अ०सा०-1 को सूचित किया कि मृतिका ने अपने आप को जला ली है और उसे अस्पताल ले गया और उसे भर्ती किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. युगल किशोर उर्वाशा अ०सा०-19 जिसने मृतिका का मृत्युकालीन कथन प्र०पी०-11 अभिलिखित किया है, ने न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया और डॉ० अनिल हेनरी अ०सा०-12 और डॉ० एन०आर० सैमुअल अ०सा०-17 जिनकी उपस्थिति में उक्त मृत्युकालीन कथन दर्ज किया गया था , भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित किये गये और इन सभी तीनों गवाहों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किये जाने के बावजूद अभिलेख में ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया जा सका कि यह निष्कषित हो कि प्र०पी०-11

का उक्त मृत्युकालीन कथन झूठा /मनगढंत है या मृतिका को प्रताडित करने के बाद तैयार किया गया है और मृतिका की स्वतंत्र इच्छा से नहीं लिया गया है। इसलिए मृतिका द्वारा दिये गये मृत्युकालीन कथन प्र०पी०-11 पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। उसके तुरंत बाद दिनांक 26/01/2011 को लगभग 05.45 बजे सुबह मृतिका उसे पहुंची गंभीर प्रकृति की जलने के चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। हमारी राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों द्वारा सम्यक रूप से साबित मृतिका द्वारा दिये गये मृत्युकालीन कथन प्र०पी० -11 पर भरोसा करते हुए प्रश्नगत अपराध का अपराधी /अपराधकर्ता अपीलार्थी को होने के संबंध में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि **क्या विचारण न्यायालय अपीलार्थी को धारा 302 भा०द०स० के अपराध में दोषसिद्ध ठहराने में उचित है या उसका प्रकरण भा०द०स० की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और उसका दोषसिद्धि धारा 300 भाग 2 भा०द०स० में परिवर्तित किये जाने योग्य है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है ?**

17. **हरिशंकर विरूद्ध राजस्थान राज्य**[3] **1998-8 एससीसी 355** के मामले में अपीलार्थी ने जलती हुई मिट्टी तेल के स्टोव को

3 (1998) 8 SCC 355

उठाया और मृतिका के उपर फेंक दिया । स्टोव का मिट्टी तेल मृतिका के कपडों के उपर फैल गया और जलती हुई बत्ती उसके कपडों के संपर्क में आने से आग लग गयी और मृतिका अंततः जलने के कारण मृत्यु हो गयी । इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी ने मृतिका के उपर जलती हुई स्टोव को फेंका था, उसे ज्ञात था कि उसके कृत्य से जलने की संभावना होने से मृत्यु हो सकती है और अपीलार्थी को धारा 302 में दिये गये दोषसिद्धि को धारा 304 भाग 2 भा०द०स० में परिवर्तित किया गया। **उक्त निर्णय की पैराग्राफ 2,3 एवं 4 निम्नानुसार है:-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. इस अपील में हमे केवल यह विचार करना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पाये गये तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा कौन सा अपराध किया गया , कहा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी मृतक भीमसिंह और एक शाह मेगन एयर फोर्स 32 विंग (एमटी सेक्शन) के टी-क्लब में चाय पी रहे थे, तब अपीलार्थी और मृतक के मध्य अपीलार्थी द्वारा मृतक को दिये गये एडवांस राशि 50,000/- रूपये वापस करने की मांग अपीलार्थी द्वारा करने के कारण दोनों के मध्य शब्दों का अदान-प्रदान/झगड़ा हुआ। अपीलार्थी क्रोधित

हो गया और जलती हुई केरोसिन की बाती उठाकर मृतक के उपर फेंक दिया। स्टोव से केरोसिन मृतक के कपडों के उपर गिर गया और जैसे ही जलती हुई बाती उसके कपडों के संपर्क में आयी आग पकड़ ली। अंततः मृतक की जलने के कारण मृत्यु हो गयी।"

"**3.** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी की कोई शत्रुता /रंजिश मृतक के साथ नहीं थी। मृतक को एडवांस दी गयी 50,000/-रूपये की राशि वसुल नहीं कर सकने के कारण उसकी हत्या करने का कोई इरादा अपीलार्थी का नहीं था। उसने आगे यह भी निवेदन किया कि उनके मध्य झगड़ा अचानक घटित हुई और अपीलार्थी उस तीव्र उत्तेजना के क्षण में स्टोव उठा लिया और अपीलार्थी की ओर फेंक दिया, इसलिए उसका निवेदन है कि अपीलार्थी के पक्ष से उसका यह केवल उतावलापन और उपेक्षा का कृत्य था। हम विद्वान अधिवक्ता के उक्त निवेदन पर सहमत नहीं हो सकते , चूंकि अपीलार्थी ने जलती हुई स्टोव मृतक पर फेंका था। वह जानता था कि उसके कृत्य से जलने के कारण मृत्यु हो सकती है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि वह धारा 304 भाग 2 भा०द०स० के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत अपराध कारित किया है।"

"**4.** हम इसलिए इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और धारा 302 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित करते हैं और आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 05 साल के कठोर कारावास में बदल देते हैं।"

18. **हरि शंकर (सुप्रा)** में दिए गए फैसले का बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा **कलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[4] **एआईआर (2019) एससी 2135** के मामले में अनुमोदन किया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने मृतक पर जलता हुआ स्टोव फेंक दिया, जिसके कारण मृतक के कपड़ों में आग लग गई और वह गंभीर रूप से झुलस गया। मृतक को 96% जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था , जलने के कारण लगी चोटों के कारण उसने स्वयं अपने मृत्युपूर्व बयान में कहा था कि यह घटना तब हुई जब पार्टियों के बीच झगड़ा चल रहा था। उनके आधिपत्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता का मृतक को मारने का कोई इरादा था और इरादे के अभाव में, आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग II के तहत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 AIR 2019 SC 2135

दोषी ठहराया जा सकता है। इसे पैराग्राफ 13 में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से देखा गया है :-

> "**13.** विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करने में कष्ट उठाया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तथाकथित मृत्युपूर्व बयान (प्र.पी.-2) अविश्वसनीय है और भरोसेमंद नहीं है। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा वैध कारण भी बताए गए हैं। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को खारिज करते हुए मृत्युपूर्व बयान की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता से संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा बताए गए किसी भी कारण पर ध्यान नहीं दिया है। हमारी सुविचारित राय में, विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत एकमात्र संभावित दृष्टिकोण है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. सर्वोच्च न्यायालय ने **कालू राम वि० राजस्थान राज्य**[5] **(2000) 10 एससीसी 324** के मामले में धारा 302 भा०द०स० के अपराध को धारा 304 भाग 2 भा०द०स० के अपराध में परिवर्तित किया है, जिसमें अपीलार्थी जो अत्यधिक नशे की हालत में था, अपनी पत्नी से आभूषणों की मांग किया और उसके इनकार करने पर, वह क्रोधित हो गया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर

5 (2000) 10 SCC 324

आग लगा दी, लेकिन आग की लपटें बढ़ती देख, उसने उसकी जान बचाने के लिए पानी डाला और तदनुसार, उसकी सजा को आईपीसी की धारा 302 से धारा 304 भाग II में बदल दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नानुसार ऑब्जर्व किया गया है: -

> "**7.** लेकिन फिर, उसके विरुद्ध सिद्ध अपराध की प्रकृति क्या है ? यह एक स्वीकृत मामला है कि अपीलकर्ता अत्यधिक नशे की हालत में था, जब वह मृतिका के पास पहुंचा तो उसके द्वारा उसके आभूषणों को छोड़ने की मांग की गई। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की तीली जलाने को कहा। जब वह ऐसा करने में असफल रही तो उसने माचिस इकट्ठा की और एक माचिस की तीली जलाई, लेकिन जब आग की लपटें तेज हो गईं तो उसने उसे आग की लपटों से बचाने के लिए अचानक और उन्मत्तता से पानी डाला। इस आचरण को परिस्थितियों की समग्रता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शायद उसे यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके द्वारा किया गया कृत्य इतना बढ़ जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। यदि उसने कभी उसे मारने का इरादा किया होता तो उसने उसे बचाने के प्रयास में पानी लाने के लिए अपनी इंद्रियों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को सचेत नहीं किया होता। हमारा मानना है कि आरोपी ने जो कुछ भी सोचा था, वह उसे जलाने और उसे डराने के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और यह घातक हद तक पहुंच गई। उसका इरादा उन चोटों को पहुंचाने का नहीं था जो उसे उसके कृत्य के कारण झेलनी पड़ीं। इसलिए, हम अपराध को प्रथम श्रेणी की हत्या से घटाकर गैर इरादतन हत्या में लाने के लिए राजी हैं। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. **के. रवि कुमार (सुप्रा)** के मामले में, आरोपी पति ने तीखी नोकझोंक के परिणामस्वरूप अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला उनके बीच अंततः अपीलकर्ता को हार का सामना करना पड़ा, उसका मानसिक संतुलन इस हद तक बिगड़ गया कि उसने कथित तौर पर पहले उस पर चाकू से वार किया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फैसले के पैराग्राफ 16 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नानुसार कहा: -

"16. ऊपर वर्णित मामलों में आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ देने और इस मामले के तथ्यों पर इसे लागू करने के लिए इस अदालत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता को धारा 304 भाग II आईपीसी के

तहत दंडनीय सजा में बदलाव करके अपीलकर्ता को धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 का लाभ देने के इच्छुक हैं। हम इस मामले के तथ्यों में एक से अधिक कारणों से ऐसा कहते हैं। **सबसे पहले,** अभियोजन पक्ष के अनुसार भी, अपराध करने में कोई पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था। **दूसरे,** इस बात का कोई सुझाव या निर्णायक सबूत भी नहीं है कि अपीलकर्ता के पास मृतक के खिलाफ अपराध करने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मकसद या दुश्मनी थी, हत्या जैसा गंभीर अपराध तो दूर की बात है। **तीसरी बात,** जो घटना घटी वह अपीलकर्ता-अभियुक्त और मृतक पद्मा के बीच अपीलकर्ता के बीमार पिता को देखने के लिए मांड्या गांव जाने के मुद्दे पर अचानक हुए झगड़े के कारण हुई थी। समाचार मिलने पर अपीलकर्ता परेशान हो गया था और इसलिए, अपने बीमार पिता को तुरंत देखने की उसकी जिद स्वाभाविक थी और साथ ही, पद्मा के जाने से इनकार करने से उनके बीच तीखी नोकझोंक हो सकती थी। यह सच है कि यह अपने चरम पर पहुँच गया क्योंकि अपीलकर्ता ने तीखी नोकझोंक में अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पद्मा पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। हालाँकि , यह तथ्य अभी भी कायम है कि यह अचानक हुए विस्फोट का नतीजा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था, उसे मारने के लिए बिना किसी पूर्वनिर्धारित उद्देश्य के तीखी नोकझोंक हुई। **चौथा,** अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत पेश नहीं किया गया कि दंपति के बीच पिछले 9 लंबे वर्षों में किसी भी तरह का लगातार झगड़ा हुआ था और वह भी ऐसे कारण के लिए जो दूसरों को ज्ञात था, जिसके कारण पद्मा की हत्या हो सकती थी या अपीलकर्ता द्वारा अतीत में उसे मारने का कोई असफल प्रयास किया गया था और अंत में, हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह नहीं देख पाए कि पद्मा के शरीर पर चाकू से कोई चोट लगी थी और न ही अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया कि घटनास्थल से खून से सना कोई चाकू अपीलकर्ता या किसी गवाह के कहने पर बरामद किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हैं। उपरोक्त निर्णयों (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत के अनुसार, यह काफी स्पष्ट है कि उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण , अपीलकर्ता-पति और मृतिका-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और अचानक क्रोध और जुनून की गर्मी में, अपीलकर्ता ने मृतिका के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। इस प्रकार, मृतक की मृत्यु का कारण बनने का उसका कोई पूर्व इरादा नहीं था और अचानक हुए झगड़े में

उसने संबंधित अपराध को अंजाम दिया। इसके अलावा, उसने क्रूर तरीके से कार्य नहीं किया या कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया, इसके तुरंत बाद अपीलकर्ता बच गया मृतक को अस्पताल ले जाया गया और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया , जो हीरामन साहू (पी.डब्ल्यू.-1) और श्रीमती के बयानों से स्पष्ट है। लखनी बाई (पी.डब्लू.-6), जो रास्ते में अपीलकर्ता और मृतक से मिलीं और उनके साथ शामिल हो गईं जब अपीलकर्ता मृतक को अस्पताल ले जा रहा था। इसके अलावा, डॉ. एन.आर. सैमुअल (पी.डब्ल्यू.-17), जिसने सबसे पहले मृतक की जांच की थी, ने यह भी कहा है कि मृतक को अपीलकर्ता द्वारा अस्पताल लाया गया था और यहां तक कि मृत्यु पूर्व बयान (प्र.पी.-11) में भी, मृतक ने खुद कहा है कि अपीलकर्ता ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस प्रकार , आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 की सामग्री संतुष्ट है और ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने में गलती की है। हालाँकि, देख रहे हैं मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर रूप से जलने की चोटों के कारण, अपीलकर्ता को यह ज्ञान रहा होगा कि उसके कृत्य से संभवतः मृतक की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार, अपीलकर्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, आईपीसी की धारा 302 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत दंडनीय अपराध को रद्द कर दिया गया है और उसे आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। चूँकि वह 29/01/2011 से यानी 11 साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए हम उसे उस अवधि की सजा देते हैं जो वह पहले ही काट चुका है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है , तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

22. तदनुसार, इस आपराधिक अपील को यहां ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(राकेश मोहन पाण्डेय)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**